न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–31/2025 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2668)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम्

1. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल (मालिक) सुन्दर नगर नई धान मंडी, घडसाना, श्रीगंगानगर।
2. **मैसर्स–**शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं.–14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II), 51 FSSA Act 2006

–:निर्णयः– दिनांकः–04.08.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51,** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम दिनांक 23.01.2025 को समय शाम **06:30 पी.एम.** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, 23 ए तह बाजार नई मंडी घडसाना जिला श्रीगंगानगर पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल (मालिक) सुन्दर नगर नई धान मंडी, घडसाना** को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) के बारे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान पर 500 एम.एल. जार पैक के 64 नग कुल 32 लीटर खाद्य पदार्थ **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) को आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से मूल 1 लीटर x 4 =4 लीटर **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नं.–5 ए भरकर देते हुए वयक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैनें हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) **500 एमएल** X 4 =2000 ml मालिक से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा) **500 एमएल** X 4 =2000 ml का नगद भुगतान **800/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है व मेरे भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **महावीर प्रसाद** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल (मालिक)** खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) **500 एम.एल.** X 4 = 2000 ml को बराबर मूल चार जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2668** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2668** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं मैंने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **विक्रेता महावीर प्रसाद** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के

आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2025/199-201 दिनांक 07.02.2025** के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) का नमूना **रिपोर्ट संख्या–एलएस 76/एक्ट/2025/76 दिनांक 31.01.2025 द्वारा Unsafe Food** होना पाया गया। भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक–एफएसएसए/2025/199–01 दिनांक 07.02.2025 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रेफरल लैब से जांच करवाने का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस कार्यालय को पत्र क्रमांक 327–28 दिनांक 04.03.2025 को नमूना जांच हेतु रैफरल लैब मैसूर भेजा गया। अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफएसएसए/2025/593–95 दिनांक–01.05.2025 के अनुसार रेफरल फूड लैबोरेट्री मैसूर के पत्रांक एफटी/एक्यसीएल/एफएसएसए 358 ए/2025 दिनांक 17.04.2025 द्वारा **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) का नमूना **Sub Standard Food** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल(मालिक) ने मैसर्सः–शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं.–14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर से बिल नं.–142/2024–25 दिनांक 18.10.2024 द्वारा माल खरीद बिल की प्रमाणित प्रति और उक्त फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक–एफएसएसए/2025/331–33 दिनांक 05.03.2025 से मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं.–14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर को पत्र द्वारा फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। परंतु आज दिनांक तक फर्म ने खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 14.05.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। तत्पश्चात अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति पत्रांक–एफएसएसए/2025/665–66 दिनांक 16.05.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अप्रार्थीगण द्वारा **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) **Sub Standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।** श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/मालिक को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें ताकि जनहित में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थो का निर्माण एवं विक्रय रोका जा सके।

प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी सं. 01 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान नई मंडी घडसाना में है तथा घी विक्रेता का काम करता है। प्रार्थी ने जब्त घी शॉप नं.–14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर से खरीद किया है जिसकी रसीद की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है प्रार्थी ने जब्तशुदा घी में कोई मिलावट नही की है। अगर मिलावट की है तो खरीदशुदा दुकानवालों ने की है। प्रार्थी का मात्र बेचान करना है। अगर जब्तशुदा घी में मिलावट पाई गई तो गंगानगर वाली दुकान के खिलाफ विधिवत दण्ड के अपराधी है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए निर्णय पारित करने की कृपा करें। प्रार्थी एक छोटा सा व्यवसाई है।

अप्रार्थी सं.–02 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि **मैसर्स महेश्वरी ट्रैडिंग कम्पनी, 23 ए तह बाजार नई मंडी घडसाना** से लिए गये नमूने **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) का बेचान संबंधित फर्म को मेरे द्वारा किया गया था। श्रीमान् जी मेरे द्वारा उक्त ब्रांड के घी का विक्रय वर्तमान में बंद कर दिया गया है। फर्म भविष्य में कभी भी उक्त ब्रांड के घी का बेचान नही करेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं. 01 को, अप्रार्थी सं. 02 द्वारा जरिये बिल संख्या 142/2024–25 दिनांक 18.10.2024 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। एफ.एस.एस.ए 2006

की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व आगे विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स–महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी नई अनाज मंडी अमर कालोनी, घड़साना** को **रूपये 5000/–(पांच हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है

अप्रार्थी सं. 01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वे खाद्य पदार्थ **देशी घी** (NAV JYOTI BRAND) के निर्माता **मैसर्स**–शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं.–14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर से खरीदा है व जिसका बिल भी अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा पेश किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किया गया है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण कर, थोक विक्रेता एवं रिटेलर के माध्यम से उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाया गया है। उपभोक्ता को **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ मिला है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि निर्माता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण व आगे विक्रय कर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **Sub Standard Food** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किये जाने हेतु **मैसर्स–शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं. –14 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर** को 50000/–रूपये (पचास हजार रूपये) आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–04.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय-निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE